रणजीत टाइम्स

इंदौर

शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026

वर्ष 02 | अंक 29 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

कई वार्डों में आ रही हैं शिकायतें लेकिन नहीं हो रहा निराकरण, करोड़ों खर्च कर दिए फिर भी समस्या और बढ़ती जा रही है

इंदौर। नगर निगम ने हैदराबाद की फर्म को श्वानों की नसबंदी का काम दे रखा है और पिछले बीते करीब 7-8 वर्षों से यहीं फर्म तमाम आरोपों और शिकायतों के बावजूद शहर में काम कर रही है। इतने सालों में ना तो आवारा श्वानों की संख्या कम हुई और ना ही उनके काटने की घटनाएं। 70 लाख का पेमेंट नहीं मिलने पर पिछले 4-5 दिनों से फर्म ने अपना कामकाज बंद कर दिया है और कई वार्डों की शिकायतों के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

पिछले चार-पांच दिनों से हैदराबाद की फर्म एनिमल फॉर वेल्फेयर सोसायटी द्वारा शहर में चलाए जाने वाले अभियान बंद कर दिए गए हैं। नगर निगम ने बीते कई वर्षो से उक्त फर्म को श्वानों की नसबंदी और उन्हें पकड़ने का जिम्मा दे रखा है। इसके लिए कई संसाधन और गाडियों के साथ-साथ स्टॉफ भी उपलब्ध कराया है। कई वर्षों से यह अभियान चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद श्वानों के काटने की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी नगर निगम के अफसरों को फटकार लगाई है। 70 लाख से अधिक का भुगतान नहीं होने के चलते चार-पांच दिन से यह अभियान बंद हो गया है। कई वार्डों में आ रही शिकायतों के बावजूद टीमें मौके पर नहीं पहुंच रही है और रहवासी आवारा श्वानों से परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉ. उत्तम यादव के मुताबिक भुगतान को लेकर एजेंसी ने काम बंद कर दिया है और दो-चार दिन में भुगतान की व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद फिर से अभियान शुरू होगा। अब तक श्वानों की नसबंदी पर ही नगर निगम करीब आठ से दस करोड़ रुपए की राशि खर्च कर चुका है, लेकिन अब तक इस समस्या से लोगों को निजात नहीं मिली है। इसके साथ साथ नगर निगम के पास यह रिकॉर्ड भी नहीं है कि शहर में कुल कितने आवारा श्वान हैं और जानकारी मांगने पर यह बताया जाता है कि हर रोज अलग-अलग क्षेत्रों से श्वानों की टीम घूमती रहती है, जिनके कारण उनकी गणना संभव नहीं है।

गुलमर्ग परिसर में श्वान ने महिला और बच्चे को किया घायल

कल भी गुलमर्ग परिसर में आवारा श्वानों ने महिला और उसके बच्चे पर हमला कर दिया था। लहूलुहान महिला को पास के अस्पताल में ले जाया गया। शिकायत के बावजूद वहां काफी देर तक कोई टीम नहीं पहुंची। गुलमर्ग परिसर के रहवासियों का कहना है कि कई दिनों से आवारा श्वानों की शिकायत की जा रही थी, मगर उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते कल श्वानों के समूह ने वहां रहने वाली महिला और उसके बच्चे पर हमला कर दिया।

शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग व वाद्ययंत्र हमारे सूक्ष्म चक्रों को सशक्त बनाते हैं

सहज योग में संगीत व वाद्य यंत्रों पर ध्यान करने का महत्व बहुत ज्यादा है। हमने कई बार इस बात को अपने जीवन में घटित पाया होगा कि जब हम कोई कार्य करते हुये धीमी आवाज में सुमधुर संगीत सुनते हैं तो मन को कार्य करते हुये थकान का अनुभव नहीं होता है। आजकल तो यह भी सुना जा रहा है कि फलों और सब्जियों के उत्पादन में, गाय से अधिक दूध प्राप्त करने में संगीत का प्रयोग हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर के सभी सूक्ष्म शक्ति केन्द्र यानि हमारे चक्र भी ईश्वर से जुड़े हैं और शास्त्रीय संगीत एवं वाद्य यंत्र भी ईश्वरीय उपासना के ही स्त्रोत हैं। एक सुर या लय में गाया गया गीत जल्द ही ईश्वर तक पहुंचता है। भजन व आरती भी इसी उद्देश्य से गाये जाते हैं। सहज योग में हमने यह जाना है कि ईश्वर हमारे ही अंदर हैं, अतः हम संगीत से अपने ही अंदर के ईश्वर को आनंदित करते हैं। हमारी परम पूज्य श्री माताजी ने चक्रों की जागृति हेतु हर चक्र का अलग राग बताया है व वाद्य यंत्र भी हर चक्र के अलग अलग हैं। यदि हम ध्यानावस्था में संबंधित चक्र पर उस चक्र के राग या वाद्य यंत्र को सुनते हुये ध्यान करते हैं तो चक्र सशक्त होता है जैसे चक्रों को पोषण मिल रहा हो।

ध्यान के समय सुनियोजित तरीके से श्री माताजी के प्रवचन के साथ साथ राग या वाद्य यंत्र को सुनकर ध्यान करना, ध्यान को पूर्णता प्रदान करता है। इससे हमारे चक्र तो शक्तिशाली होते ही हैं, हमारा चेहरा भी तेजोमय हो जाता है। यदि किसी चक्र पर समस्या है तो उस चक्र का राग या वाद्य यंत्र दो तीन दिन लगातार सुनकर उस चक्र को प्रभावी करें। इस अनूठी ध्यान पद्धति से जुड़ने हेतु व आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त करने हेतु अपने नजदीकी सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 अथवा यूट्यूब चैनल लर्निंग सहजयोगा से प्राप्त कर सकते हैं। सहज योग पूर्णतया निशुल्क है।

संसद का बजट सत्र शुरू रविवार को पहली बार पेश होगा आम बजट

संसद के बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संबोधन से होगी

बृहस्पतिवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जबकि रविवार को आम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह संसदीय इतिहास में पहला अवसर होगा जब आम बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस बार एक और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट से तीन दिन पहले ही संसद में पेश किया जाएगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करने के साथ-साथ आगामी कार्ययोजना की दिशा भी स्पष्ट करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस अवसर पर लगातार नौवीं बार आम बजट पेश करेंगी। बजट की तैयारियों के अंतिम चरण के संकेत के रूप में मंगलवार को पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं। यह समारोह रायसीना हिल स्थित नॉर्थ ब्लॉक में संपन्न हुआ, जिसे बजट दस्तावेजों की अंतिम प्रक्रिया की शुरुआत माना जाता है।

प्रशासनिक अंधेरगर्दी

इंदौर में 'बिल्डर-अफसर' नेक्सस का शिकार हुए सिल्वर पार्क के रहवासी, क्या SDM का नोटिस सिर्फ 'रद्दी का टुकड़ा' है?

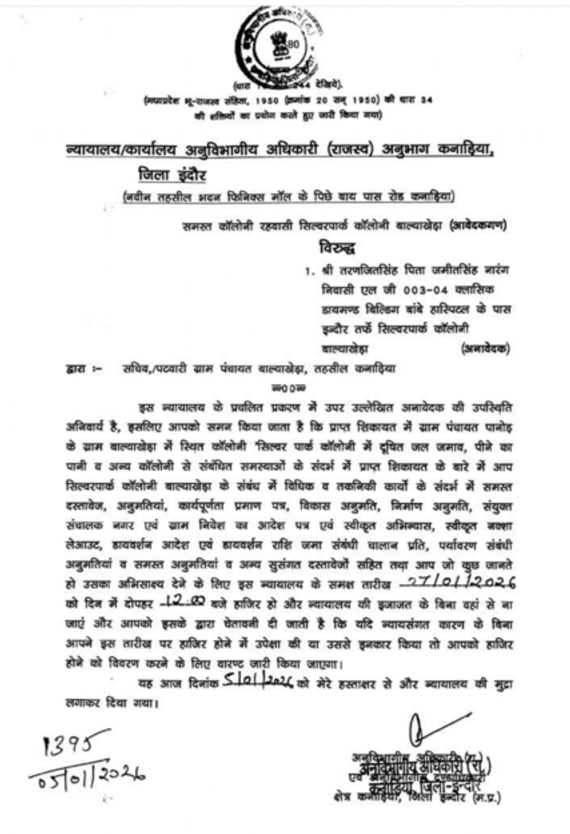

(धारा ... 244 देखिये)
(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1950 (क्रमांक 20 सन् 1950) की धारा 34 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया)

न्यायालय/कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कनाड़िया, जिला इंदौर
(नवीन तहसील भवन फिनिक्स मॉल के पिछे बाय पास रोड कनाड़िया)

समस्त कॉलोनी रहवासी सिल्वरपार्क कॉलोनी बाल्याखेड़ा (आवेदकगण)

विरुद्ध

1. श्री तरणजितसिंह पिता जमीतसिंह नारंग निवासी एल जी 003-04 क्लासिक डायमण्ड बिल्डिंग बांबे हास्पिटल के पास इन्दौर तर्फे सिल्वरपार्क कॉलोनी बाल्याखेड़ा (अनावेदक)

द्वारा :- सचिव,/पटवारी ग्राम पंचायत बाल्याखेड़ा, तहसील कनाड़िया

००

इस न्यायालय के प्रचलित प्रकरण में उपर उल्लेखित अनावेदक की उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए आपको समन किया जाता है कि प्राप्त शिकायत में ग्राम पंचायत पानोड़ के ग्राम बाल्याखेड़ा में स्थित कॉलोनी 'सिल्वर पार्क कॉलोनी में दूषित जल जमाव, पीने का पानी व अन्य कॉलोनी से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में प्राप्त शिकायत के बारे में आप सिल्वरपार्क कॉलोनी बाल्याखेड़ा के संबंध में विधिक व तकनिकी कार्यो के संदर्भ में समस्त दस्तावेज, अनुमतियां, कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र, विकास अनुमति, निर्माण अनुमति, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश का आदेश पत्र एवं स्वीकृत अभिन्यास, स्वीकृत नक्शा लेआउट, डायवर्शन आदेश एवं डायवर्शन राशि जमा संबंधी चालान प्रति, पर्यावरण संबंधी अनुमतियां व समस्त अनुमतियां व अन्य सुसंगत दस्तावेजों सहित तथा आप जो कुछ जानते हो उसका अभिसाक्ष्य देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष तारीख 27/01/2026 को दिन में दोपहर 12.00 बजे हाजिर हो और न्यायालय की इजाजत के बिना वहां से ना जाएं और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि न्यायसंगत कारण के बिना आपने इस तारीख पर हाजिर होने में उपेक्षा की या उससे इनकार किया तो आपको हाजिर होने को विवरण करने के लिए वारण्ट जारी किया जाएगा।

यह आज दिनांक 5/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

1395
05/01/2026

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी
कनाड़िया, जिला-इन्दौर
क्षेत्र कनाड़िया, जिला इन्दौर (म.प्र.)

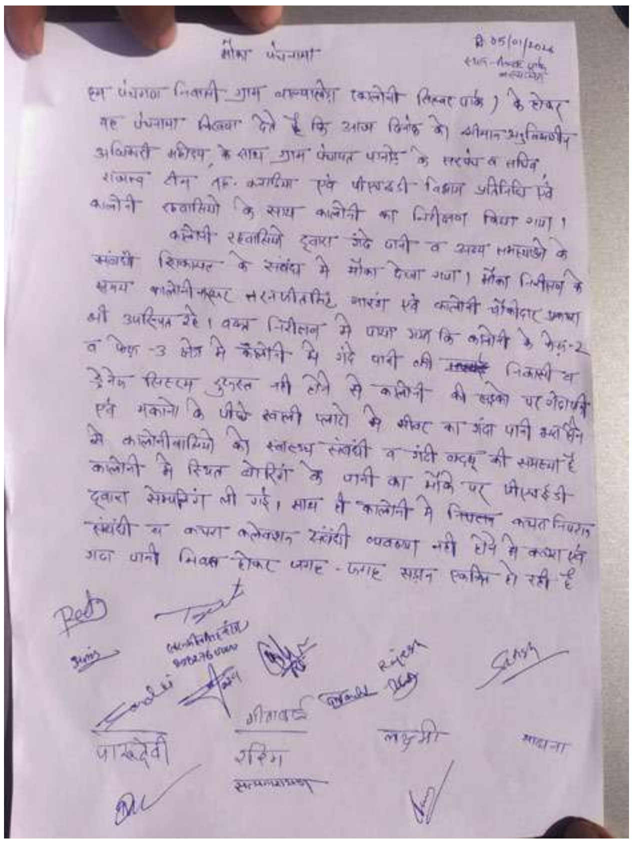

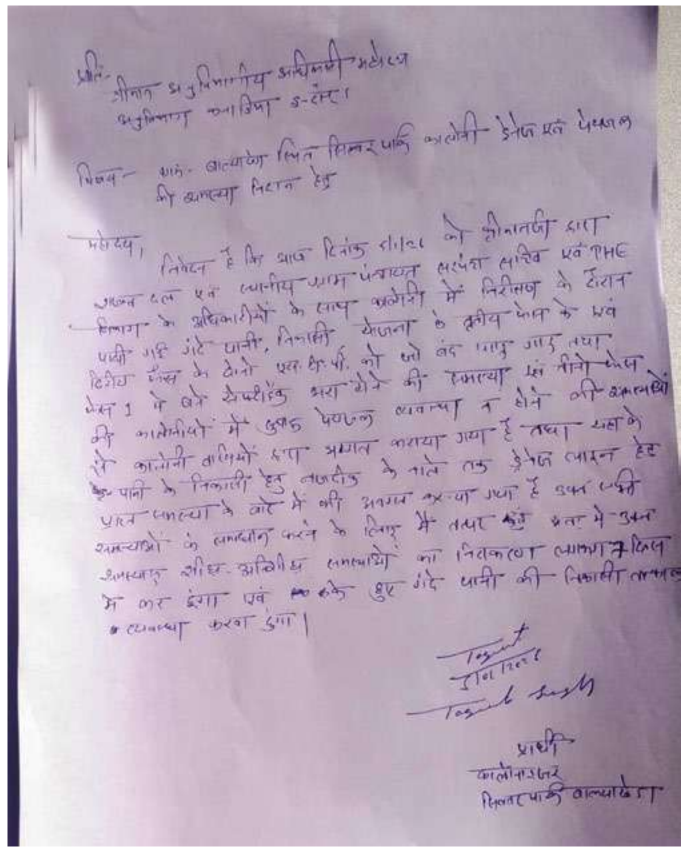

सह संपादक- दीपक वाड़ेकर

इंदौर (कनाडिया): सुशासन का दम भरने वाले इंदौर प्रशासन की नाक के नीचे सिल्वर पार्क कॉलोनी (बाल्याखेड़ा) में भ्रष्टाचार और लापरवाही का गंदा खेल चल रहा है। यहाँ के रहवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, सड़कों पर सीवर का पानी बह रहा है, लेकिन SDM कनाडिया और पटवारी उमेश बाथम जैसे जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं।

दिखावे का नोटिस और 'सेटिंग' का खेल?

प्रशासन ने दिखावे के लिए बिल्डर तरनजीत सिंह नारंग को 27 जनवरी 2026 का नोटिस थमाया था। नोटिस में बड़े-बड़े शब्द लिखे थे—"उपस्थित न होने पर वारंट जारी होगा", "कठोर कार्रवाई होगी"। आज 27 तारीख बीत चुकी है, लेकिन न तो बिल्डर सलाखों के पीछे है और न ही कॉलोनी की गंदगी साफ हुई है। सवाल यह उठता है कि क्या यह नोटिस सिर्फ जनता का मुँह बंद करने के लिए था? क्या पर्दे के पीछे बिल्डर और अधिकारियों के बीच 'लेन-देन' का खेल चल रहा है?

पटवारी की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

क्षेत्रीय पटवारी उमेश बाथम और राजस्व की टीम पर रहवासियों का सीधा आरोप है कि वे बिल्डर के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जब जनता अपनी समस्या लेकर पहुँचती है, तो अधिकारी फाइलों में मुँह छिपा लेते हैं। मौका पंचनामा (दिनांक 05/01/2026) में साफ लिखा है कि STP बंद हैं और पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी 20 दिन बाद भी बिल्डर पर कोई FIR क्यों नहीं हुई?

सड़कों पर समंदर, घरों में जहर

तस्वीरें चीख-चीख कर व्यवस्था की पोल खोल रही हैं:

»» **सीवर का समंदर:** मुख्य सड़कों पर घुटनों-तक भरा गंदा पानी बिल्डर की बेशर्मी और प्रशासन की नाकामी का गवाह है। बीमारियों का न्योता: छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस जहरीले पानी और बदबू के बीच रहने को मजबूर हैं।

»» **झूठे आश्वासन:** बिल्डर ने 7 दिन में समस्या हल करने का लिखित वादा किया था, लेकिन वह वादा भी अधिकारियों की तरह ही 'फर्जी' निकला।

»» **जनता का सीधा सवाल:** साहब, कितनी कीमत में बिका है कानून?

सिल्वर पार्क के रहवासी अब पूछ रहे हैं कि आखिर वह कौन सी ताकत है जो बिल्डर तरनजीत सिंह नारंग को बचा रही है? यदि आम आदमी एक छोटा सा अतिक्रमण कर दे, तो प्रशासन का बुलडोजर तुरंत निकल आता है, लेकिन यहाँ सैकड़ों परिवारों की जान से खिलवाड़ करने वाले बिल्डर को रेड कार्पेट ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है?

»» **चेतावनी:** यदि अगले 48 घंटों में ड्रेनेज की सफाई शुरू नहीं हुई और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो रहवासी कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे।

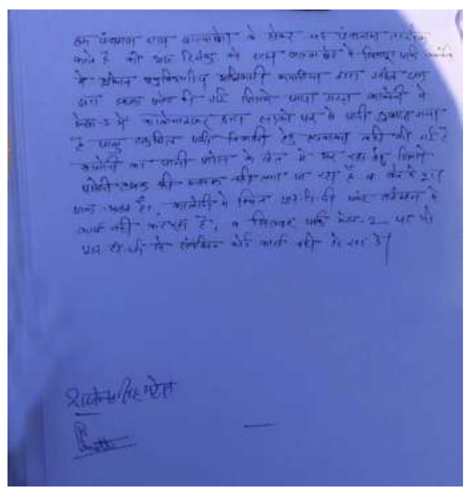

रणजीत टाइम्स

DLF गार्डन सिटी का 'डेथ ट्रैप'

करोड़ों के बंगले और गटर वाला पानी! आखिर कब तक चलेगा बिल्डर का ये 'खूनी खेल'?

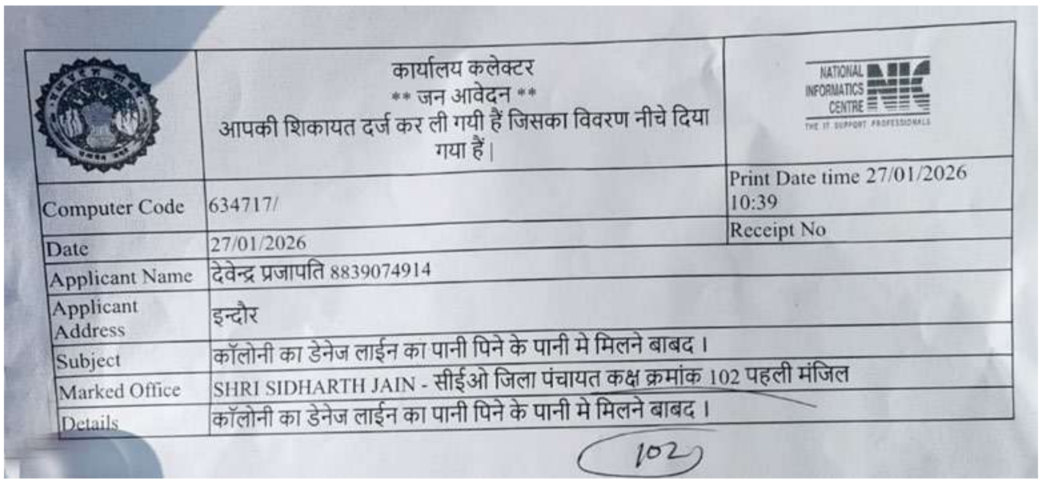
कार्यालय कलेक्टर
** जन आवेदन **
आपकी शिकायत दर्ज कर ली गयी हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Computer Code	634717/
Print Date time	27/01/2026 10:39
Receipt No	
Date	27/01/2026
Applicant Name	देवेन्द्र प्रजापति 8839074914
Applicant Address	इन्दौर
Subject	कॉलोनी का डेनेज लाईन का पानी पिने के पानी मे मिलने बाबद।
Marked Office	SHRI SIDHARTH JAIN - सीईओ जिला पंचायत कक्ष क्रमांक 102 पहली मंजिल
Details	कॉलोनी का डेनेज लाईन का पानी पिने के पानी मे मिलने बाबद।

102

सह संपादक - दीपक वाड़ेकर

इंदौर। अगर आप DLF गार्डन सिटी (फेज 2B) में घर लेने का सपना देख रहे हैं, तो सावधान! यहाँ आपको सुकून नहीं, बल्कि 'धीमा जहर' परोसा जा रहा है। इंदौर की इस हाई-प्रोफाइल टाउनशिप की हकीकत इतनी खौफनाक है कि आपकी रूह कांप जाएगी।

STP के नाम पर 'महा-छलावा': टैंकरों की चोरी पकड़ रही हैं बिल्डर की पोल!

बिल्डर दावा करता है कि उनके पास आधुनिक STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर प्लांट चालू है, तो रोज टैंकरों से गंदा पानी (सीवेज) क्यों ढोया जा रहा है? यह साफ़ तौर पर करोड़ों का घोटाला है। सच्चाई ये है कि STP सिर्फ एक 'शो-पीस' बनकर रह गया है। बिजली और मेंटेनेंस का पैसा बचाने के लिए बिल्डर ने इसे बंद कर रखा है और टैंकर माफिया के साथ मिलकर कॉलोनी की गंदगी को ठिकाने

लगा रहा है। क्या प्रशासन सो रहा है? या फिर बिल्डर की ऊंची पहुँच के आगे अधिकारियों ने घुटने टेक दिए हैं?

प्रीमियम टाउनशिप या बीमारियों का अड्डा?

»» **नल से जहर:** पीने के पानी की पाइपलाइन में गटर का पानी मिल रहा है। लोग बदबूदार और पीला पानी पीने को मजबूर हैं। यह 'वॉटर सप्लाई' नहीं, बल्कि 'बीमारियों की सप्लाई' है।

»» **मौत को दावत देते मैनहोल:** सड़कों पर खुले मैनहोल किसी भी वक्त किसी मासूम की जान ले सकते हैं। क्या बिल्डर किसी लाश के गिरने का इंतज़ार कर रहा है?

»» **खुले में शौच का कलंक:** करोड़ों कमाने वाला DLF अपने स्टाफ को एक टॉयलेट तक नहीं दे सका। 'स्वच्छ भारत' की धज्जियाँ उड़ाते हुए कर्मचारी खुले प्लॉटों में शौच कर रहे हैं, जिससे पूरी टाउनशिप में गंदगी और संक्रमण फैल रहा है।

जनता का फूटा गुस्सा, अब आर-पार की जंग!

देवेंद्र प्रजापति और अन्य निवासियों ने अब कलेक्टर की चौखट पर दस्तक दी है। लोगों का कहना है कि उन्होंने घर खरीदा था, 'नरक' की टिकट नहीं। अब सवाल इंदौर प्रशासन से है: क्या इस लापरवाह बिल्डर का लाइसेंस रद्द होगा? या फिर मासूम जनता को यूं ही घुट-घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा?

बिल्डर महोदय जवाब दें

अगर टाउनशिप 'गार्डन सिटी' है, तो ये गटर जैसा हाल क्यों? जनता के मेंटेनेंस का पैसा क्या टैंकरों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है?

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से

दिलीप पाटीदार

धार रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 07 फरवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक किया जाएगा। पंजीयन जिले में जिला उपार्जन समिति द्वारा निर्धारित पंजीयन केन्द्रों के माध्यम से समस्त कार्य दिवसों में किया जाएगा। किसान स्वयं के मोबाइल से एमपी किसान एप के माध्यम से निःशुल्क पंजीयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकृत एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित

साइबर कैफे पर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क राशि 50 रुपये का भुगतान कर पंजीयन कराया जा सकता है।

पंजीयन केंद्र पर पंजीयन हेतु किसान निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, एनपीसीआई से लिंक बैंक खाता संख्या, समग्र आईडी, भूमि के खसरे की नकल आदि आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर उपस्थित हों तथा पंजीयन उपरांत मिलान अवश्य कर लें। वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल उन्हीं प्रकरणों में मान्य होगा, जिनमें वन पट्टा सिकमी/बटाई अनुबंध 02 फरवरी 2026 के पूर्व का हो। ऐसे किसानों का पंजीयन संबंधित समितियों के अंतर्गत स्थित पंजीयन केन्द्रों पर ही किया जाएगा। मृत कृषक जिनकी भूमि का नामांतरण लंबित है, ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थानों की भूमि, शारीरिक रूप से असक्षम एवं वृद्ध कृषक जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं है तथा जिनके आधार डाटाबेस में मोबाइल नंबर अद्यतन नहीं हो पा रहा है, ऐसे कृषकों का पंजीयन जिला आपूर्ति अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) धार में किया जाएगा।

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने जिले के समस्त गेहूं उत्पादक किसानों से अपील की है

कि वे अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर उपस्थित होकर शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 07 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन कराएं।

रणजीत टाइम्स
इंदौर, शुक्रवार 30 जनवरी 2026

हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई

दिलीप पाटीदार

धार माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के अध्यक्ष एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को लेकर 29 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षकों के चयन एवं नियुक्ति, प्रतिनिधियों की नियुक्ति तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से उनके पंजीयन, परीक्षा ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसे विषयों पर आवश्यक निर्देश दिए गए।

साथ ही परीक्षा केंद्र निरीक्षण दल एवं प्रेक्षकों की नियुक्ति, संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने तथा परीक्षा से संबंधित अधिकारियों की जानकारी मण्डल की वेबसाइट पर समय-सीमा में प्रविष्ट करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न-पत्रों एवं उत्तरपुस्तिकाओं के सुरक्षित भंडारण हेतु स्ट्रॉन्ग-रूम की व्यवस्था, परीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक पुलिस बल की तैनाती तथा प्रश्न-पत्र वितरण से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित परिवहन की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त नकल पर प्रभावी नियंत्रण, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं पर निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई तथा मूल्यांकन कार्य से जुड़े शिक्षकों एवं नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता, अनुशासन एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सुनिश्चित करें। बैठक में धार जिले से अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पांडेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सकारात्मक चर्चा

पलासिया थाना TI श्रद्धा यादव से नववर्ष पर विशेष भेंट

नववर्ष के अवसर पर पलासिया थाना प्रभारी (TI) श्रद्धा यादव जी से रणजीत टाइम्स की ओर से विशेष मुलाकात की गई। इस दौरान उन्हें नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं तथा रणजीत टाइम्स का नववर्ष कैलेंडर एवं डायरी डेस्क इंचार्ज रेनू केथवास द्वारा भेंट स्वरूप प्रदान की गई। इस सौहार्दपूर्ण भेंट के दौरान प्रशासन और मीडिया के आपसी सहयोग पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।

महू न्यायालय मे 3 वर्ष से विचाराधीन 1 करोड़ के मानहानि मामले को किया खत्म

जितेन्द्र वर्मा

पंचम जिला न्यायाधीश भरत कुमार व्यास एवं तृतीय जिला न्यायाधीश विशाल शर्मा के समक्ष विचाराधीन मानहानि से संबंधित प्रकरण का सफलतापूर्वक मध्यस्थता से निराकरण किया गया हैं उक्त मामले में एयर मार्शल हरीश मसंद द्वारा विंग कमांडर सत्येन्द्र पाल सिंह सेतिया के विरुद्ध मानहानि का केश दर्ज करवाया गया था। यह मामला पंचम जिला न्यायाधीश के समक्ष सिविल वाद के रूप में तथा तृतीय जिला न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक केश अपील के रूप में विचाराधीन था दोनों न्यायाधीशों द्वारा तथा उभयपक्ष के अधिवक्ता जे.डी. तिवारी एवं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भारत सिंह ठाकुर के माध्यम से पक्षकारों को समझौते की प्रक्रिया एवं न्यायलयीन तथ्यों से अवगत कराया गया। समझौते के आधार पर दोनों ही प्रकरणों को समाप्त किए जाने संबंधी आदेश माननीय न्यायालयों द्वारा पारित किए गए उक्त प्रकरण की विस्तृत जानकारी अभिभाषक संघ महू के सचिव अभिषेक जायसवाल द्वारा दी गई।

बड़ोदिया में सड़क किनारे बनी गहरी कांक्रीट पाल होने से ग्रामीण परेशान दुर्घटना होने कि आशंका हमेशा बनी रहती

दिलीप पाटीदार

सरदारपुर- बड़ोदिया क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क के सीसी रोड़ के किनारे बनाई गई पाल का अब तक मुरम से भराव नहीं किया गया है। गहरी पाल खुले में होने के कारण वहाँ प्रतिदिन दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। खासकर रात के समय वहां मोड़ होने के कारण वाहन चालकों तथा किसानों को ट्रैक्टर ट्राली निकालने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तथा दुर्घटना होने कि संभावना बनीं रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएँ और दोपहिया वाहन चालकों एवं राहगीरों के लिए यह स्थान अत्यंत खतरनाक बना हुआ है । इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। नागरिकों ने सवाल उठाया है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा?

ग्रामीणों का कहना है। कि यह स्थिति आज की नहीं बल्कि पिछले तीन महीनों से जस की तस बनी हुई है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा अब तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब कांक्रीट पाल का कार्य समाप्त हुआ उसी टाइम मुरम का भराव करना था परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

अटल ग्राम सुशासन योजना के अंतर्गत ग्राम बड़ोदिया में पंचायत भवन निर्माण कार्य प्रगति पर

दिलीप पाटीदार

सरदारपुर- राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन और प्रशासनिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित अटल ग्राम सुशासन योजना के अंतर्गत ग्राम बड़ोदिया में नवनिर्मित पंचायत भवन का निर्माण कार्य निरंतर प्रगति पर है। यह भवन ग्राम पंचायत की प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नए पंचायत भवन के निर्माण से ग्राम पंचायत को स्थायी एवं सुव्यवस्थित कार्यालय सुविधा प्राप्त होगी, जिससे पंचायत की बैठकों, अभिलेखों के संधारण तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सुगमता आएगी। ग्रामीणों को भी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन,

प्रधानमंत्री एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए अब एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

ग्राम पंचायत बड़ोदिया के उपसरपंच जीवन पाटीदार ने बताया कि निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों और गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप किया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि समय-समय पर स्थल का निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों ने पंचायत भवन निर्माण को ग्राम के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना है कि भवन के पूर्ण होने से ग्राम प्रशासन को मजबूती मिलेगी और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। पंचायत भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात ग्राम बड़ोदिया में विकासात्मक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

29 वी माही पंचक्रोशी पदयात्रा मे उमडा आस्था और विश्वास का जनसैलाब

केन्द्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक प्रताप ग्रेवाल हुए शामिल

दिलीप पाटीदार

सरदारपुर क्षेत्र की प्रसिध्द माही पंचक्रोशी पदयात्रा आस्था एवं विश्वास के जनसैलाब के साथ गुरूवार को प्रारंभ हुई, जिसमे हजारो की संख्या मे माही भक्त शामिल हुए। आयोजन का यह 29वॉं वर्ष है। पदयात्रा मे माही तट पर सुबह 9 बजे धर्म ध्वजा एवं अखण्ड ज्यौत की बोली लगाई गई, जिसमे धर्म ध्वजा उठाने का लाभ 53 हजार रूपये मे विधायक पुत्र शिवांग ग्रेवाल ने लिया। वही अखण्ड ज्यौत उठाने का लाभ 16 हजार रूपये मे कैलाश अमलियार द्वारा लिया गया। पदयात्रा माही तट स्थित बलदेव हनुमान मंदिर से पुजन अर्चन पश्चात महंत मंगलदास महाराज के सानिध्य मे प्रारंभ होकर सरदारपुरा, पंचमुखी चैराहा, अम्बेडकर चैराहा, बस स्टैण्ड होते हुए फुलगांवडी पहुची जहा पर ग्रामीणो द्वारा फरियाली का स्वल्पाहार करवाया गया। इसके पश्चात पटलावदिया, झीर्णेश्वर, गोलपुरा, इमलीपुरा आदि ग्रामो से होते हुए प्रथम विश्राम स्थल मिण्डा पहुची। पदयात्रा का सरदारपुर से मिण्डा तक विभीन्न ग्रामो, चैराहो पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया एवं पदयात्रियो को स्वल्पाहार करवाया गया। 5 दिवसीय पदयात्रा के शुभारंभ पर केन्द्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, पूर्व विधायक वेलसिंह भूरिया ने भी शामिल होकर धर्म ध्वजा एवं अखण्ड ज्योत उठाकर धर्म लाभ प्राप्त किया। समिति अध्यक्ष धर्मेन्द्र मण्डलोई ने बताया कि यात्रा की पूर्व संध्या पर प्राचीन माताजी मंदिर सरदारपुर से नगर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए माही नदी तट तक 151 फीट की चुनरी यात्रा निकाली गई। पंडित राजेश मिश्रा एवं अजय भट्ट द्वारा माही माता का पुजन अर्चन करवाया गया एवं महंत मंगलदास महाराज, विधायक प्रताप ग्रेवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार मेडा, समिति अध्यक्ष धर्मेन्द्र मण्डलोई, जिला भाजपा उपाध्यक्ष रोमा मण्डलाई, पूर्व न.प. अध्यक्ष ब्रजेश ग्रेवाल, महेश भाबर, पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष नवीन बानिया, भाजपा मण्डल अध्यक्ष ओंकारलाल जाट, रितेश गुरू आदि द्वारा माही माता को चुनरी अर्पण की गईं एवं चुनरी यात्रा पश्चात माता भक्तो द्वारा पदयात्रियो को भोजन करवाया गया। रात्रि मे माही नदी तट पर दादा दयालु सुन्दरकाण्ड मण्डल द्वारा संगीतमय सुन्दरकाण्ड पाठ की प्रस्तुती दी गई। पदयात्रा के शुभारंभ पर समिति के कनकमल जैन, मधुसुदन गर्ग, चैतन्य वैष्णव, अंतरसिंह पुजारी, खुमानसिंह बारोड, अजय पाटीदार, झुझार डांगी, हुकुमसिंह सुनेर, रामेश्वर मारू, ओम बाबा आदि उपस्थित रहे।

इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट दिलाने के नाम पर चला रहे फर्जी एड़वाईजरी कपंनी पर, पुलिस थाना विजयनगर की प्रभावी कार्यवाही

इंदौर शहर में लोगो से निवेश के नाम पर धोखाधड़ी व आनलाईन फ्राड़ करने वाले आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु लगातार पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था श्री अमित कुमार सिंह , पुलिस उपायुक्त जोन – 02 नगरीय इंदौर श्री कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन – 02 नगरीय इंदौर श्री अमरेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर श्री पराग सैनी के नेतृत्व में थाना प्रभारी चन्द्रकांत पटेल द्वारा थाने के स्टाफ को फर्जी एड़वाईजरी कंपनी की तलाश एंव कार्यवाही हेतु टीम को गठित किया गया था। इसी तारतम्य में कल दिनांक 27/01/2026 थाना विजयनगर क्षेत्र में ग्रेविटी माल थर्ड फ्लोर पर चल रहे आफिस को सहायक पुलिस आयुक्त विजनयगर से सर्च वारंट प्राप्त प्राप्त कर इनविजन इन्फोटेक कंपनी को चेक करते कंपनी में कुल 06 लोग कार्य करते हुये मिले जिनके नाम पता पुछते (1) कपिल उपाध्याय उम्र 27 साल नि. बाबजी नगर इंदौर (2) विक्की जैन उम्र 29 साल नि. रामानंद नगर इंदौर (3) शंकर दयाल पटेल उम्र 37 साल नि. श्रीनाथ गोल्ड सिगांपुर टाऊनशिप जिला इंदौर (4) सुलतान यादव उम्र 32 साल नि. सेटेलाईट जक्शन कैलोद हाला जिला इंदौर (5) सुरेन्द्र बैण्डवाल उम्र 26 साल नि. शीतल नगर जिला इंदौर (6) हरनीत सिंह उम्र 31 साल नि. स्कीम नंबर 78 जिला इंदौर बताया। जिनसे हिकमातमली से पूछताछ करते बताया कि हम एलगो साफ्टवेयर के माध्यम् से लोगो को ज्यादा प्रोफिट दिखाकर अलग अलग खातों में लोगो से पैसे डलवाकर लोगो के साथ धोखाधड़ी करते है।

पुलिस कार्यवाही – थाना विजयनगर जिला इंदौर में अपराध क्रमांक 86/2026 धारा 318(4), 316(5), 3(5) बी.एन.एस का पंजीबद्ध कर उक्त 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 03 मुख्य आरोपी फरार है जिनकी तलाश जारी है। प्रकरण में विवेचना जारी है जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तथा आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

आपराधिक रिकार्ड- आरोपी कपिल उपाध्याय पर पूर्व में भी थाना एम.आई.जी में फर्जी एड़वाईजरी को लेकर अपराध क्रमांक 582/2022 धारा 409,420,भादवि थाना एम.आई.जी. इंदौर म.प्र.

पुलिस टीम – निरी. चन्द्रकांत पटेल, उनि श्रृद्धा सिंह, उनि अजय सिंह कुशवाह, प्र.आर 919 आशीष, प्रधान आरक्षक 3316 प्रमोद, आरक्षक 3723 जितेंद्र, आरक्षक 2263 मोनू, आर 1076 पार्थ, महिला आरक्षक 4737 आयुषी

धोखाधड़ी करने वाले शातिर जालसाज रईस शेख एवं मोहम्मद जुनैद लसुडिया थाना की गिरफ्त में

लसुडिया क्षेत्र अंतर्गत चिकित्सक नगर में भूखण्ड के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूखण्ड स्वयं के नाम पर रजिस्ट्री कराकर 93 लाख रुपये के लोन प्राप्त कर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले शातिर जालसाज रईस शेख एवं मोहम्मद जुनैद लसुडिया थाना की गिरफ्त में आरोपीगण द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अन्यत्र व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड प्लाट की कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्वयं के नाम पर की थी रजिस्ट्री पूर्व में भी उक्त भूखण्ड की कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से की गई रजिस्ट्री के संबंध में उपरोक्त आरोपीगण के विरुद्ध थाना लसूडिया पर एफ.आई. आर. पंजीबद्ध की गई थी आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है ।

इंदौर। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक एस.एम.एफ.जी. इण्डिया क्रेडिट लिमिटेड कंपनी कलेक्शन मैनेजर प्रतीक दुबे पिता सुधीर दुबे द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसकी जाँच में पाया गया कि अनावेदकगण शेख रई तर्फे मेसर्स सोहेल इंटरप्राईजेज नावदापंत पार्क के पास इन्दौर , सलमा बी एवं मोहम्मद जुनेद द्वारा छल पूर्वक धोखाधी करके तथा आपराधिक न्यास भंग एवं अमानत में खयानत कर प्रार्थी कंपनी के ऋण खाता अन्तर्गत ऋण राशि

93 लाख रुपये प्राप्त कर उक्त संबंध में फर्जी दस्तावेजों पर मिथ्या साक्ष्य गढ़कर कूटकरण के आधार पर छलपूर्वक धोखाधड़ी कर ऋण प्राप्त कर प्रार्थी कंपनी को आन्तरिक नुकसान पहुंचाने तथा आपराधिक न्यास भंग एवं अमानत में खयानत कर प्रारथी कंपनी को अपरिमित हानि पहुंचाये जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही हेतु लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया आवेदन के अवलोकन तथा की गई प्रारम्भिक जाँच से पाया गया कि आरोपीगण शेख रई तर्फे मेसर्स सोहेल इंटरप्राईजेज नावदापंत पार्क के पास इन्दौर, सलमा बी एवं मोहम्मद जुनेद द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से भूखण्ड क्रमांक 148 विकित्सक नगर क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट अल मालिक डाक्टर राजरानी खरे का प्रतिरूपण कर फरियादी के नाम का कथित आधार कार्ड तैयार कर उक्त कथित आधार कार्ड से कथन बैंक खाता खुलवाकर एवं अन्यत्र कथित दस्तावेजों के आधार पर डाक्टर सजरानी खरे के भूखण्ड की कथित रजिस्ट्री का निष्पादन कर उक्त रजिस्ट्री को बैंक में बंधक रख कर त्राण राशि करीब 93 लाख रुपये प्राप्त कर बैंक के साथ दोखाधड़ी किये जाने संबंधी तथ्यों के प्रकाशित होने से आरोपीगण ऋणी शेख रईस, सहस्त्राणि सलमा बी व मोहम्मद जुनैद एवं उक्त कृत्य में संलिप्त अन्यत्र संदेहीयो तथा संलिप्त संदेही बैंक कर्मियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 131/2026 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-वी भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस आयुक्त इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस उपायुक्त जोन 2 श्री कुमार प्रतीक को निर्देशित किया गया था जिस पर से पुलिस उपायुक्त जोन 2, अति. पुलिस उपायुक्त जोन 2 श्री अमरेन्द्र सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर श्री पराग सैनी द्वारा थाना प्रभारी को आरोपीगण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर से थाना प्रभारी लसुडिया श्री तारेश कुमार सोनी के निर्देशन में आरोपीगण की धर पकड़ तथा प्रकरण के अनुसंधान हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया।

गठित टीम द्वारा प्रकरण में अनुसंधान प्रारम्भ कर आरोपीगण की तलाश पतारसी कर आरोपीगण 1.शेख रईश उम्र 54 साल नि ग्रीन पार्क कालोनी धार रोड़ इन्दौर हाल निवासी नेमावर मेन रोड़ खुडैल इन्दौर एवं 2. मोहम्मद जुनैद उम्र 24 साल नि. ग्रीन पार्क कालोनी धार रोड़ इन्दौर हाल निवासी नेमावर मेन रोड खुडैल इन्दौर को गिरफ्तार किया गया जिन्हे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस रिमाण्ड लिया गया है। आरोपीगण से प्रकरण के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

Ugc के विरोध में ज्ञापन दिया

महेश्वर प्रेमचंद गुप्ता

आज नगर महेश्वर में सवर्ण समाज द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ugc काला कानून वापस लेने के लिये समाज ज़न ने एकत्रित होकर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया ज्ञापन का वाचन रोहित जोशी ने किया उस समय नार्मदीय समाज के अध्यक्ष शंकर बिलल्लोरे,नगर परिषद महेश्वर के उपाध्यक्ष सचिन शर्मा व नगर के गणमान्य ज़न ज्ञापन में ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, अग्रवाल समाज, बीसा नीमा महाजन समाज, सहित सभी सवर्ण समाज के लोग सम्मिलित हुए।

आनंद-उत्सव के तहत आयोजित की गई खेल गतिविधियां

प्रदीप सिंह बघेल

शहडोल जनपद पंचायत जयसिंहनगर अंतर्गत स्व. अटल बिहारी बाजपेयी महाविद्यालय परिसर में आनंद उत्सव के तहत कुर्सी दौड़, रस्सा कस्सी कबड्डी एवं क्रिकेट खेलकूद जैसी अन्य खेल गतिविधियाँ आयोजित की गई। आनंद उत्सव का शुभारंभ अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती मालती सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री काजोल सिंह ने माँ सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। आनंद उत्सव के तहत आयोजित खेल गतिविधियो में जनप्रतिनिधियो, अधिकारियो एवं अन्य लोगो ने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई। इस अवसर पर आनंद उत्सव के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्रीमती शिवानी जैन, अध्यक्ष नगरपालिका श्रीमती सुशीला शुक्ला, तहसीलदार श्रीमती सुषमा धुर्वे, एपीओ श्री अनुराग निमग सहित अन्य जनप्रनिधि, अधिकारी व बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहें। गौरतलब है कि आनंद उत्सव का उद्देश्य गांव से शहर

तक के लोगों को आनंद से जोड़ने की पहल है, इसमें महिलाओं बुजुर्गों युवाओं और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है इस उत्सव में बढ़कर नागरिक सहभागिता निभाएं। आनंद उत्सव सकारात्मक सोच और मानसिक सुकून को बढ़ावा देता है।

कलेक्टर ने किया ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का निरीक्षण खेतों पर जाकर देखी फसलों की स्थिति

गोलू यादव

अचानक मौसम परिवर्तन के कारण कुछ दिवस पूर्व ओलावृष्टि होने से फसलें प्रभावित हुई हैं। कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा गुरुवार को तहसील बहादुरपुर के ग्राम ओडेर पहुंचकर ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का निरीक्षण

किया। साथ ही फसलों की वर्तमान स्थिति को देखा। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया कि प्रभावित फसलों का स्पष्ट सर्वे कर फसल क्षति का सही आंकलन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए की प्रभावित फसलों का यथाशीघ्र सर्वे कर किसानों को राहत राशि प्रदान की जाए।

बीज़ भंडार में भीषण आग लाखों का धान जलकर हुआ खाक

प्रदीप सिंह बघेल

किसानों की मेहनत और भरोसे पर उस वक्त आग लग गई, जब कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नर्सरहा बीज भंडार में धान से भरे गोदाम में भीषण आग भड़क उठी। धुएं के गुबार और लपटों ने देखते ही देखते लाखों रुपये के धान को राख में बदल दिया, जिससे न सिर्फ सरकारी व्यवस्था बल्कि धान खरीदी और भंडारण प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहें है दरअसल बीज भंडार में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब धान से भरे गोदाम में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते वहां रखा धान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। घंटों की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया जा सका, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

बोरियों से पत्थर कंकड़ निकलने का मामला उजागर हुआ था

आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। हालांकि जिस तरह से आग भड़की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन द्वारा मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कि जिले में धान खरीदी को लेकर गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में धान की बोरियों से पत्थर कंकड़ निकलने का मामला उजागर हुआ था।अब बीज भंडार में आग लगने की इस घटना ने संदेह को और गहरा कर दिया है।

बंजारा राइडर्स ने गणतंत्र दिवस पर बाइक रैली निकालकर दिया महिला सशक्तिकरण और सड़क सुरक्षा का संदेश

दिव्यानंद अर्गल

ग्वालियर दिल्ली आधारित मोटरसाइकिल राइडर्स क्लब बंजारा राइडर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक देशभक्ति मोटरसाइकिल राइड का सफल आयोजन किया। इस राइड का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार राइडिंग को बढ़ावा देना रहा। यह राइड दिल्ली से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों से होती हुई ग्वालियर में संपन्न हुई। इस राइड में

प्रणव गौतम, रोहित, राकेश, प्रसून, वेद प्रकाश, संदीप, भानु और अमित शामिल रहे। यात्रा के दौरान राइडर्स ने ऐतिहासिक नगर ओरछा का भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने सांस्कृतिक धरोहरों को देखा और भारत की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण का संदेश दिया। ओरछा भ्रमण के पश्चात ग्वालियर की महिला राइडर शबनम, जो कि अल्टीमेट वॉरियर राइडर्स की संस्थापक हैं, ने बंजारा राइडर्स के साथ सहयोग किया और ओरछा से ग्वालियर तक राइड का नेतृत्व किया। उनकी अगुवाई में यह राइड महिला सशक्तिकरण, महिला स्वतंत्रता और सड़क सुरक्षा का सशक्त प्रतीक बनी, जिसने समानता और आत्मविश्वास का प्रभावी संदेश दिया। 26 जनवरी को सभी राइडर्स ऐतिहासिक ग्वालियर किले पहुँचे, जहाँ बंजारा राइडर्स एवं अल्टीमेट वॉरियर राइडर्स के सदस्यों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एकता, अनुशासन व देशभक्ति के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर एडमिन प्रणव गौतम ने कहा,

"बंजारा राइडर्स की यह पहल केवल एक मोटरसाइकिल यात्रा नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, जिम्मेदार राइडिंग, युवाओं की भागीदारी और भारत की ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास था। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से मिली सराहना ने इस राइड को वास्तव में प्रेरणादायक और प्रभावशाली बना दिया।" कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए एडमिन रोहित ने कहा, "इस गणतंत्र दिवस राइड के आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना था। साथ ही हमने हेलमेट पहनने और अनुशासित राइडिंग के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, क्योंकि यह आदतें जीवन बचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।" अपने विचार साझा करते हुए अल्टीमेट वॉरियर राइडर्स की संस्थापक शबनम ने कहा, "महिला सशक्तिकरण का अर्थ है जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता। जब महिलाएँ आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ती हैं, तो वे समाज को समानता, अनुशासन और देशभक्ति पर विश्वास करना सिखाती हैं। गणतंत्र दिवस पर इस राइड का नेतृत्व करना मेरे लिए गर्व और भावनाओं से भरा क्षण था।" बंजारा राइडर्स और अल्टीमेट वॉरियर राइडर्स के इस सहयोग ने देशभक्ति, लैंगिक समानता, सामाजिक जिम्मेदारी और सुरक्षित राइडिंग संस्कृति के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाया, जिससे युवाओं में सकारात्मक सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रोत्साहन मिला।

अफवाह बनाम हकीकतः महलगुलारा स्कूल में गरिमा के साथ हुआ था झंडावंदन, सरपंच और जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद

प्राचार्य की दो टूकः "हाई स्कूल में मैंने और माध्यमिक शाला के शिक्षक ने किया ध्वजारोहण, शिकायतकर्ता को नहीं थी पूरी जानकारी"

महेन्द्र मालवीय रणजीत टाईम्स

बुरहानपुर जिले में शासकीय स्कूल में राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण न किए जाने की खबरों ने बीते दिनों समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। एक अखबार में प्रकाशित खबर में दावा किया गया था कि स्कूल में झंडावंदन नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि, अब संस्था के प्रभारी प्राचार्य ने इन खबरों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है।

क्या है पूरा सच?

शासकीय एकीकृत शाला, महलगुलारा के प्रभारी प्राचार्य उखर्डू मोरे से जब मीडिया ने सवाल जवाब किए तब वास्तविक स्थिति स्पष्ट हुई। उन्होंने बताया कि प्रकाशित खबर सत्यता से परे है। प्राचार्य के अनुसार, राष्ट्रीय पर्व को पूरी गरिमा और नियमों के तहत मनाया गया था। प्राचार्य मोरे ने जानकारी दी कि कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया था:

»» हाई स्कूलः ध्वजारोहण का मुख्य कार्यक्रम हाई स्कूल भवन में स्वयं प्राचार्य उखर्डू मोरे मोरे द्वारा संपन्न किया गया।

»» महलगुलारा स्कूलः वहीं, महलगुलारा स्थित स्कूल परिसर में उनके अधीनस्थ माध्यमिक शिक्षक रतनलाल राठौर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान गांव के सरपंच, उप-सरपंच, जनपद सदस्य और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।

क्यों हुई सीएम हेल्पलाइन में शिकायत?

जब प्राचार्य से इस मामले में सीएम हेल्पलाइन पर हुई शिकायत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे 'संवादहीनता' और 'जानकारी का अभाव' बताया। प्राचार्य ने कहा, "ग्रामीणों और शिकायतकर्ता को लगा कि मुझे (मोरे सर को) महलगुलारा स्कूल में उपस्थित होना चाहिए था। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि मैं हाई स्कूल में ध्वजारोहण कर रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति को उन्होंने कार्यक्रम न होना समझ लिया और आवेश में आकर शिकायत कर दी।"

विवाद का अंत-प्राचार्य ने बताया कि शिकायतकर्ताओं से बात करने पर उन्होंने भी स्वीकार किया कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, जिस कारण यह गलतफहमी पैदा हुई। प्रभारी प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन राष्ट्रीय प्रतीकों और पर्वों का सर्वोच्च सम्मान करता है और भविष्य में भी ऐसे आयोजन पूरी निष्ठा के साथ किए जाएंगे। शिकायतकर्ता तरुण चौकसे ने बताया कि मोरे सर महल गुराड़ा स्कूल के भी प्रिंसिपल हैं इसलिए उन्होंने यहां पर भी उपस्थित होना था

खजराना पुलिस द्वारा प्लाट के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार

विनोद चौहान

घटना का संक्षिप्त विवरण-आवेदक फुरकान पिता तस्जील हुसैन निवासी प्रियदर्शिनी रीजेंसी इंदौर द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था आवेदन जाँच में पाया गया कि अनावेदकगण शेख इमरोज एवं रजिया खान द्वारा प्लाट के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर छल पूर्वक धोखाधड़ी करके तथा आपराधिक न्यास भंग कर आवेदक को अपरिमित हानि पहुंचाये जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध कठोर, वैधानिक कार्यवाही हेतु लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अवलोकन तथा की गई प्रारम्भिक जाँच से पाया गया कि आरोपीगण शेख इमरोज एवं रजिया खान द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से भूखण्ड क्रमांक 228 पार्श्वकुंज (अहमद नगर) कालोनी क्षेत्रफल 1496 वर्गफीट का प्लॉट अन्यत्र कथित दस्तावेजों के आधार पर फुरकान पिता तस्जील हुसैन के भूखण्ड की कथित रजिस्ट्री का निष्पादन कर एवं तथ्यों के प्रकाशित होने से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 77/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इंदौर शहर में कूट रचित दस्तावेज के आधार पर प्लाटों की खरीदी बिक्री करने वालों आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस आयुक्त महोदय श्री संतोष कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह द्वारा श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन 2 श्री कुमार प्रतीक, अति पुलिस उपायुक्त श्री अमरेन्द्र सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त खजराना श्री कुंदन मंडलोई द्वारा थाना प्रभारी खजराना मनोज सिंह सेंधव को दिए गए थे इसी अनुक्रम मे आरोपीगण की धरपकड़ तथा प्रकरण के अनुसंधान हेतु तत्परता से एक विशेष टीम का गठन किया जाकर आरोपीगण की तलाश कर आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस रिमाण्ड लिया गया है। आरोपीगण से प्रकरण के संबंध में पूछताछ कर इनके साथी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा आरोपीगण - 1. शेख इमरोज पिता शेख रहमान उम्र निवासी 09 हीना पैलेस खजराना इंदौर (म. प्र.) (आरोपी 10वी तक पढ़ा लिखा हे एवं स्क्रैप का कार्य करता हे।)

2. रजिया खान पति अब्दुल रऊफ उम्र निवासी 10 सम्राट नगर खजराना इंदौर (म. प्र.) (आरोपिया अनपढ़ होकर, ग्रहणी का कार्य करती हे।) उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उनि. संदीप पटेल, घनश्याम मिश्रा प्रआर. पंकज सांवरिया, नरेश चौहान आर. जबर सिंह धाकड़, शुभम सिंह एवं प्रदीप सूर्यवंशी इत्यादि की सराहनीय भूमिका रही।

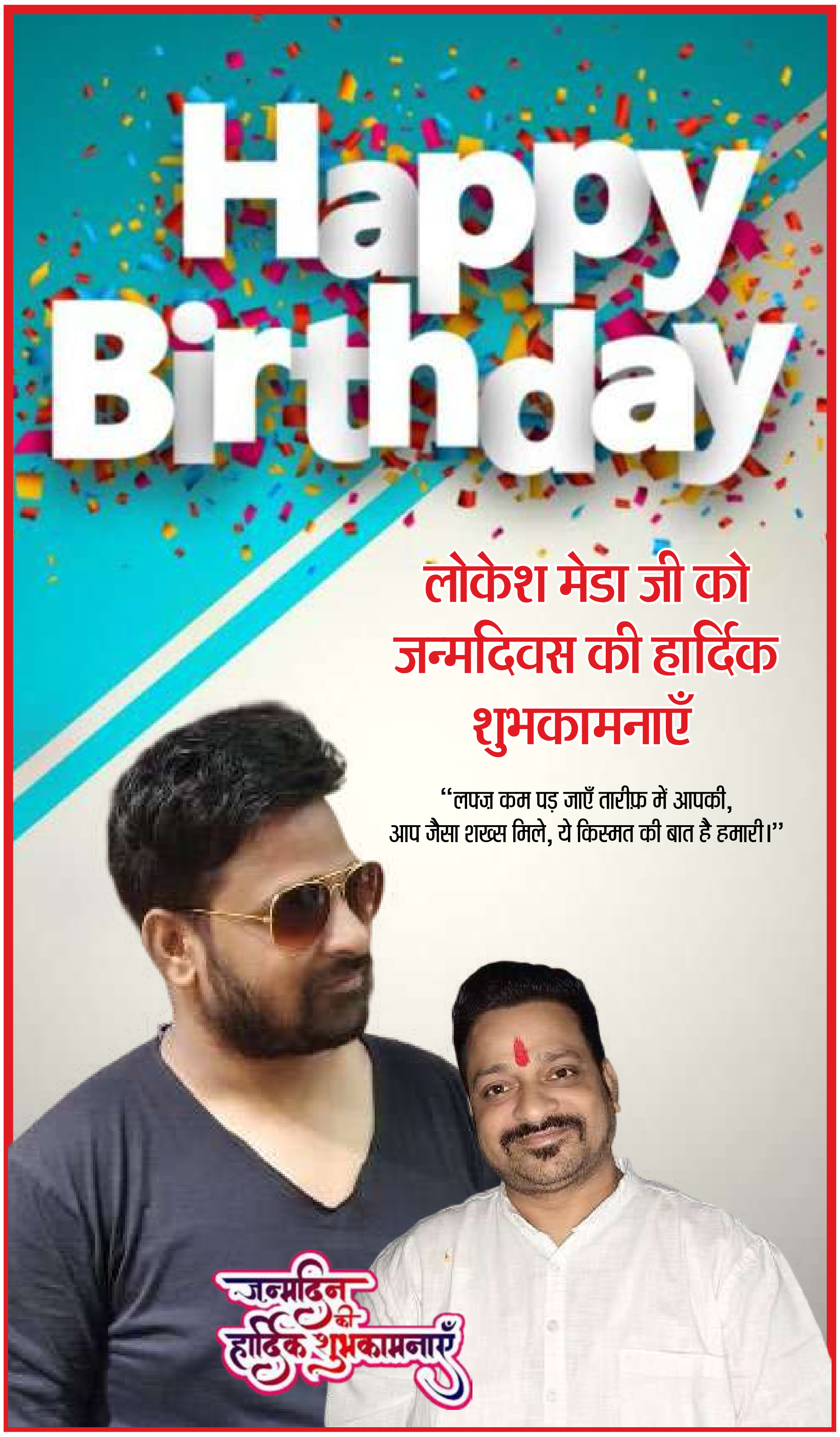

करोड़ों के हेरफेर व अवैध फीस वसूली पर एक्रोपोलिस जल्द ले फैसला, अन्यथा व्यापक आंदोलन होगा अभाविप

राजेश धाकड़

इंदौर।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) इंदौर महानगर इकाई ने एक्रोपोलिस ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस, इंदौर में वर्षों से चल रहे कथित करोड़ों रुपये के फीस घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभाविप द्वारा कल विद्यार्थियों के साथ किए गए आंदोलन के माध्यम से इस मामले को सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया, जिसमें विद्यार्थियों से की जा रही अनधिकृत, मनमानी एवं नियमविरुद्ध फीस वसूली का विरोध किया गया। आज आयोजित प्रेस वार्ता में अभाविप इंदौर महानगर ने इस पूरे प्रकरण को तथ्यों एवं दस्तावेज़ी साक्ष्यों के साथ मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। परिषद ने बताया कि एक्रोपोलिस महाविद्यालय द्वारा Admission & Fee Regulatory Committee (AFRC) के स्पष्ट दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विद्यार्थियों से डेवलपमेंट फीस, मिसलेनियस फीस एवं अन्य मदों के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक राशि वसूली जा रही है, जो पूर्णतः अवैध है। अभाविप ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल किसी एक सत्र या कुछ विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्षों से संचालित एक व्यवस्थित आर्थिक शोषण है। इस अवैध वसूली से हजारों विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं और अनुमानित रूप से यह राशि करोड़ों रुपये तक पहुँचती है। परिषद ने इसे शिक्षा के नाम पर की जा रही गंभीर धोखाधड़ी करार दिया।

प्रेस वार्ता में अभाविप ने मांग की कि विद्यार्थियों से अब तक ली गई अवैध फीस तत्काल वापस की जाए, आगामी शैक्षणिक सत्रों की फीस AFRC के नियमानुसार ही निर्धारित की जाए, तथा पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर दोषी व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अभाविप इंदौर महानगर मंत्री देवेश गुर्जर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक्रोपोलिस महाविद्यालय प्रशासन शीघ्र कोई ठोस एवं सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है, तो अभाविप अपना आंदोलन और अधिक व्यापक स्तर पर ले जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक विद्यार्थियों को पूर्ण न्याय नहीं मिलता, तब तक अभाविप का संघर्ष निरंतर और अडिग रहेगा।